लोकसुनवाई का वृत।

श्री बिमल कुमार, पिता– श्री श्याम सुंदर यादव, पता–मोहल्ला–कुर्जी, पोस्ट–कुर्जी मोड़, थाना–दीघा जिला–पटना द्वारा सोन–13 बालूघाट, मौजा–हुरका, प्रखंड–डेहरी, जिला–रोहतास के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533,दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 17.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय डेहरी, डेहरी, जिला–रोहतास में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2262/2023, dated 31.01.2023 के आलोक में श्री संजय कुमार सिन्हा, अपर समहर्त्ता, रोहतास (जिला पदाधिकारी, रोहतास के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 17.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय डेहरी, डेहरी, जिला–रोहतास में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा प्रभात खबर, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्,पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रवि रंजन कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवर लोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (570 नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री रोहित कुमार, ग्राम–रोहिका,जिला–रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि पानी का छिड़काव करने एवं पेड़ लगाने की बात कहीं जाती है, लेकिन बाद में अनुपालन नहीं होता है। क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि.रा.प्र.नि. पर्षद् द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में आम जनता द्वारा जिला खनन कार्यालय, जिला पदाधिकारी या बि.रा.प्र. नि., पर्षद् में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत E-mail के माध्यम से भी किया जा सकता है।
2.	श्री मिथिलेष कुमार, ग्राम–हुरका, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू सड़क पर गिर जाता है, स्थानीय लोग को रोजगार मिलना चाहिए एवं पेड़ लगाने के साथ–साथ रख–रखाव होना चाहिए। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा, बालू से लदे ट्रक को तिरपाल से ढका जायेगा। स्थानीय लोग को योग्यता के आधार पर रोजगार मुहैया कराया जायेगा। स्थानीय 02 माली को पेड़ का रख–रखाव हेतु रखा जायेगा।
3.	श्री संजय कुमार, ग्राम–हुरका, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि नदी के तट से ही खनन शुरू कर दिया जाता है। खनन कार्य नदी के तट से हटकर कुछ दूरी के बाद करना चाहिए। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बतया गया कि खनन क्षेत्र का Co-ordinate दिया जाता है। खनन कार्य नदी के तट से हटकर ही किया जायेगा।
4.	श्री हरिनारायण सिंह, ग्राम–हुरका, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि खनन क्षेत्र में इनका खेत है, इसलिए इनको मुआवजा मिलना चाहिए। अपर समहर्त्ता द्वारा बताया गया कि खनन क्षेत्र में रैयती जमीन नहीं होता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो समुचित फोरम के माध्यम से सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

5.	श्री शशि रंजन, ग्राम–हुरका, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में ओभर लोडिंग से दिक्कत है। ट्रक–ट्रेक्टर चलने से धूल उड़ता है एवं सड़क पर बालू जमा हो जाता है। सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 2 बार किया जाय। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जाय। ओभर लोडिंग नहीं किया जाय।
6.	श्री राजू कुमार, ग्राम–हुरका, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है और बालू सड़क पर गिरते जाता है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा आश्वस्त किया गया कि पहुँच–पथ के दोनों तरफ 300 मी0 तक हाई स्पीड स्प्रिंकलर मशीन से जल छिड़काव किया जायेगा।
7.	श्री दीपक कुमार सिंह, ग्राम–हुरका, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा पूछा गया कि श्रमिक को चोट लगने पर क्या प्रावधान है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था रहती है। नजदीक के अस्पताल से Tie-up रहता है, श्रम कानून के तहत् मुआवजा दिया जाता है। अपर समहर्त्ता द्वारा संवेदक को निदेश दिया गया कि श्रमिकों को सूचि जिला खनन कार्यालय एवं श्रम संसाधन विभाग को अवश्य उपलब्ध करावें।
8.	श्री अखिलेश कुमार, ग्राम–हुरका, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि वाहन के संचालन के दौरान होने एवं अश्लील गाना बजाया जाता है। अपर समहर्त्ता द्वारा संवेदक को निदेश दिया गया कि वाहन चालक को संख्त हिदायत्त देंगे कि अश्लील गाना न बजायें एवं गति पर नियंत्रण रखेगें। उनके द्वारा बताया गया कि बालू घाट से मुख्य सड़क के बीच का पहुँच–पथ आबादी क्षेत्र से नहीं जाय। पहुँच–पथ के दोनों ओर 300मी0 तक Hight Speed Sprinkleen से जल छिड़काव किया जाय। ओभर लोडिंग नहीं किया जाय। वाहन गति पर नियंत्रण हो। मजदूरों के लिए फर्स्ट–एड की व्यवस्था हो। मजदूरों की सूची श्रम विभाग को उपलब्ध कराया जाय। मजदूरों का हेल्थ कार्ड बनाया जाय। बालू का खनन रैयती जमीन से नहीं हो। सीमा क्षेत्र को चिन्हित किया जाय।

9.	श्री चंदन कुमार शर्मा, ग्राम–हुरका, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा स्थानीय लोग को बालू के दर में रियायत की मांग की गयी। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू का सरकारी दर फिक्स्ड होता है, इसमें रियायत का प्रावधान नहीं है।

सुनवाई के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डिहरी, राजस्व अधिकारी, डिहरी तथा जिला खनन पदाधिकारी के प्रतिनिधि श्री संजीव रंजन भी उपस्थित अपने–अपने विचार रखे :–

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने चर्चा में भाग लेते हुए बालु परिवहन के दौरान आम तौर होने वाली समस्याओं यथा वायु प्रदुषण, ध्वनी प्रदुषण एवं ट्रेफिंक जाम इत्यादि के बिन्दु पर ध्यान आकृष्ट करते हुए इस बात पर बल प्रदान किया गया कि खनन के दौरान एवं खनन् उपरान्त सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्ड का कड़ाई से अनुपालन एवं सतत् निगरानी रखा जाना आवश्यक है।

राजस्व अधिकारी ने अन्य बातों के अतिरिक्त चर्चा के क्रम में हरि नारायण सिंह द्वारा उठायी गयी शंका का समाधान करते हुए स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तुत परियोजना के रैयती भूमि पर किसी भी प्रकार का खनन को लेकर अगर विवाद हो, उस संदर्भ में तो अविलंब उनसे संपर्क कर उसे निवारित करा सकतें है। चर्चा के क्रम में उपस्थित श्री संजय कुमार के द्वारा खनन क्षेत्र में कटाव के बिन्दु पर उठाए गए प्रश्न पर परियोजना के तरफ से स्पष्ट किया गया है कि नदी तट से हटकर ही खनन का कार्य किया जाएगा। ऐसे में कटाव की समस्या नहीं होगी। फिर भी इस संदर्भ में अध्यक्ष द्वारा उपस्थित अंचलाधिकारी को इसे संज्ञान में लेकर जाँच करने का निदेश दिया गया।

चर्चा के क्रम में जिला खनन् कार्यालय के तरफ से उपस्थित श्री संजीव रंजन, खान निरीक्षण, पदाधिकारी ने खनन् कार्य हेतु सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंडो की संक्षिप्त चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही कार्रवाई अनुमान्य है, जिसे सुनिश्चित कराया जाएगा।

चर्चा के क्रम में अध्यक्ष के द्वारा मुख्य रूप से परियोजना तथा परियोजना के आलोक में सरकार के द्वारा इस 'जन सुनवाई' के पीछे के निहित उदेश्य पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया गया कि संतुलित विकास सरकार का मुख्य लक्ष्य है। सरकार दृढ़ संकलप्ति है कि विकास से पर्यावरण संतुलन एवं आम–जनो की स्वास्थ्य आदि सुविधाओ पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े और इसी उदेश्य से सरकार के द्वारा इस जन सुनवाई का प्रावधान किया गया है। सरकार इस बात को मानती है कि आम जन अपने हितो को बेहतर समझते है और किसी परियोजना के वास्तविक परिचालन हेतु आम जन का पक्ष जानना, उनकी चिन्ताओं/शंकाओं का समाधान करना, उनके सुझावों का नियमानुसार परियोजना परिचालन के क्रम में अंगीकृत करना ही इस सुनवाई का लक्ष्य है।

उनके द्वारा रेखांकित किया गया कि परियोजना के सरकार के मानको/निर्धारित मापदंडों का अनुपालन तथा सतत् अनुश्रवण किया जाना परियोजना के द्वारा अपेक्षित है। उनके द्वारा इस बात को पुनः रेखांकित किया गया कि खनन् कार्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों यथा घाटों के दोनो तटो पर निर्धारित क्षेत्र को छोड़कर ही खनन् करने, खनन् के क्रम में नियमानुसार सतह से तीन मीटर की अधिसीमा का अनुपालन करने, खनन् क्षेत्र से मुख्य सड़क पर बालु के परिचालन हेतु Haul रोड का निर्माण करने, परिचालन के क्रम में संभावित वायु–प्रदुषण को रोकने हेतु नियमानुसार स्थल पर लगातार पानी छिड़काव करने, परिचालन स्थल के दोनो ओर अवस्थित पौधो/फसलों में सरकार के नियमानुसार पानी छिड़काव करने, पर्यावरण सतुलन हेतु खनन् क्षेत्र के आसपास वृक्षारोपन करने, श्रमिको को कार्य करने हेतु

पर्याप्त प्रशिक्षण देने एवं कार्य स्थल पर मानक के अनुरूप अनुमान्य सुविधा उपलब्ध कराने, नियमानुसार पर्यावरण अंकेक्षण एवं निगरानी रखने, नियमानुसार परिचालन में व्यवहृत किये जाने वाले वाहनों को परिवहन विभाग के निदेशानुसार अनुमान्य क्षमतानुसार ही परिचालन आदि किये जाने की आवश्यकता को पुनः रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि परियोजना के संचालक, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं सभी सक्षम प्राधिकार सरकारी मापदण्डों का दृढतापूर्वक अनुपालन करेंगे तथा अनुपालन की सतत् निगरानी एवं अंकेक्षण भी सुनिश्चित करेंगे।

परियोजना स्थल से विद्यालय एवं अस्पताल की दूरी के दृष्टिगत अध्यक्ष द्वारा अनुरोध किया गया कि वे विद्यालय में CER (Corporate Environmental Responsibility) के अन्तर्गत अपने स्तर पर AIR-PURIFIER लगाने की संभावना पर विचार करे।

अध्यक्ष द्वारा चर्चा के क्रम में परियोजना में पर्यावरण की रक्षा के लिए की जाने वाली शमनकारी उपयोग हेतु पूंजी लागत एवं आवर्ती लागत की कर्णांकित राशि में बढ़ोतरी करने की गुंजाइश देखते हुए इसमे वृद्धि करने हेतु विचार करने का सुझाव दिया गया।

सुनवाई में उपस्थित प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि एवं परियोजना के पर्यावरणीय, सलाहकार के द्वारा आश्वस्त किया गया कि कि परियोजना को सरकार के निर्धारित मापदण्डों/नियमो के अनुसार ही संचालित होगी और आम जनों को इससे किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई/असुविधा नहीं होगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

अपर समहर्त्ता
रोहतास

श्री बिमल कुमार, पिता-श्री श्याम सुंदर यादव द्वारा रोहतास सोन -13 बालू घाट, मौजा-हुरका, अंचल-डेहरी, जिला-रोहतास में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

स्थान- अंचल कार्यालय डेहरी, दिनांकः 17.06.2023 समय-11:00 A.M.

क्र.स.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	संजय कुमार सिन्हा	ADM-DGRO. ROHTAS.	17-06-23.
2.	आशीष कुमार गुप्ता	संयोजक पदाधिकारी, बि०रा० प्र०नि० पर्षद, पटना	17-6-23
3.	संजीव रंजन	M.I Rohatas	17.6.23
4.	पुरुषोत्तम त्रिवेदी	BDO, Dehri	17/6/23
5.	SNEHA	REVENUE OFFICER DEHRI	17/6/23
6.	Vikash Mishra	Sr Manager Rian Enviro Pvt Ltd	Mishra 17/6/23
7.	Ravi Ranjan Kr.	Env. Consultant Rian Enviro Pvt. Ltd	Ravi 17/06/2023.
8.			
9.	मनोज सिंह	हुरका	17/6/023
10.	उमेश कुमार		
11.	मिथिलेश कुमार	हुरका	17-6-23
12.	विनय कुमार	हुरका	17-6-23 विनय कुमार
13.	अनिरुद्ध कुमार	हुरका	17/6/023 अनिरुद्ध कुमार
14.	योगेन्द्र कु० सिंह	हुरका	17/ योगेन्द्र कु० सिंह
15.	राज कुमार साह	हुरका	राज कुमार साह
16.	दिलीप कुमार	हुरका	दिलीप कुमार
17.	विकाश कुमार	हुरका	विकाश कुमार
18.	राजेश्वर सिंह	हुरका	राजेश्वर सिंह

19.	पिउत्र चौधरी	इुरका	पिउत्र चौधरी
20.	ओंकार सिंह	डुमका	ओंकार सिंह
21.	राजकिशोर सिंह	डुरका	राजकिशोर सिंह
22.	जितेन्द्र सिंह	पाली	जितेन्द्र पाली
23.	हरिश कुमार	डुरका	हरिश कुमार
24.	दिपक कुमार	डुरका	दिपक कुमार
25.	गड्डु कुमार	डुरक	गड्डु कुमार
26.	जितेन्द्र कुमार	डुरका	जितेन्द्र कुमार
27.	चन्दन गर्मी	डुरका	चन्दन गर्मी
28.	गोवर्धन कुमार	डुरका	गोवर्धन कुमार
29.	रजनीश कुमार	डुरका	रजनीश कुमार
30.	मन्टु कुमार	डुरका	मन्टु कुमार
31.	सतेन्द्र सिंह	डुरका	सतेन्द्र सिंह
32.	राम लखन सिंह	डुरका	राम लखन सिंह
33.	अखिलेश कुमार	डुरका	Akhilesh kumar
34.	संजय कुमार	डुरका	Sanjay Kumar
35.	भोला कुमार	डुरका	भोला कुमार
36.	अनिल सिंह	डुरका	अनिल सिंह
37.	मृत्युन्जय कु०	डुरका	मृत्युन्जय कुमार
38.	हरिनारायण		
39.	विनोद सिंह	रोपहुआ	विनोद सिंह
40.	भरत कुमार	डुरका	भरत कुमार

41.	छोटेलालसिंह	डुरका	छोटेलाल सिंह
42.	सतेन्द्र सिंह	डुरका	सतेन्द्र सिंह
43.	राजु	डुरका	राजु कुमार
44.	संतोष	डुरका	संतोष कुमार
45.	मिथलेश कुमार	डुरका	मिथलेश कुमार
46.	बाबुलाल सिंह	डुरका	बाबुलाल सिंह
47.	दीपक कुमार	डुरका	दीपक कुमार
48.	रितेश सिंह	डुरका	रितेश सिंह
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			